न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन संख्या– 65/2018

1. शारदा पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासिनी ग्राम दलतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
2. सीमा पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासिनी दलतपुरा नाबालिग जरियेः हितमित्र शारदा पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासिनी दलतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थिया/ आवेदिका

बनाम

1. भागचन्द पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट निवासी दलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. बिरदी देवी पत्नि स्व. कानाराम जाति जाट निवासिनी दलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. पटवारी पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।
5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी/अनावेदकगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिंनाक :– 18.06..2019**

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमि आराजियात ख0नं0 406, 407, 408 किता 3 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर, में मृतक कानाराम का हिस्सा 1/12, बिरदी देवी पत्नि कानाराम का हिस्सा 1/4, ख0नं0 580 ता 583 किता 3 कुल रकबा 2.0800 हैक्टेयर में आवेदिकागण के दादा मृतक कानाराम का हिस्सा 1/8 एवं कृषि भूमि ख0नं0 409, 411, 412 ता 413,415 ता 420, 480 किता 11 कुल रकबा 12.1800 हैक्टेयर में आवेदिकागण के दादा मृतक कानाराम पुत्र भूराराम का 3/8 हिस्सा वाके ग्राम दलतपुरा प0ह0 मोटलावास तह0 दांतारामगढ में कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है।कानाराम के दो पुत्र आमप्रकाश व भागचन्द जिनका कानाराम की सम्पदा में 1/2, 1/2 पैत्रिक एवं आवेदिकागण भागचन्द की जायंदा पुत्रियां है जिनका भागचन्द के हिस्से में सें 1/3 भागचन्द का हिस्सा 1/3 आवेदिका सं0 1 का हिस्सा तथा 1/3 आवेदिका सं0 2 का हिस्सा पुश्तैनी है जिसकी उद्घोषणा हेतु वादकरण पेश हुआ है। अप्रार्थीगण आपस में मिले

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

हुए है तथा उक्त वर्णित भूमियों को अन्य लोगों के हस्तांतरित कर आवेदिका के हिस्से को खुर्द बुर्द करने व उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करना चाहते है जिसका उन्हे कोई कानूनी हक नहीं है।अतः अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा सें पावंद फरमाया जावे कि उक्त वर्णित आराजियात की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर सें वकील श्री राजेन्द्र जाट द्वारा जवाब आवेदन पेश किया गया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया और आवेदन तथा जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया व. उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी की खरीदशुदा भमि है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहती है तो अप्राथीगणों को अपूरणीय क्षति होगी। अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों के हितों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा।

अतः पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करते हुए प्रार्थी का आवेदन अं0 धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner